पृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विकास में राज्य मंत्री (की पी॰ वंकटसुक्वाच्या): (क) राज्य सरकार तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान संवर्ग में किन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व के प्रधीन वरिष्ट पदों के प्रधिक से प्रधिक 33म प्रतिशत पद (1) राजस्थान प्रशासनिक सेवा के स्थाई सदस्यों में से तथा (2) उन प्रधिकारियों में से, जो राजस्थान प्रशासनिक किया के सदस्य तो नहीं है परन्तु राज्य सरकार के प्रधीन स्थायी रूप में राजपितत पदों पर हैं, भर्ती के लिये होते है।

Written Answers

- ्ख) तया (ग): भारतीय प्रशासिनक सेवां के राजस्थान संवगं के पदोन्नति कोटे में 46 पदों पर, जो कि राजस्थान प्रशासिनक सेवा के सदस्यों के लिये नियत हैं, 34 श्रिष्ठकारी भारतीय प्रशासिनक सेवा में नियुक्त हैं। भारतीय प्रशासिनक सेवा में एक ग्रिष्ठकारी की नियुक्त के लिए राज्य सरकार से प्राप्त हुई सिफारिश विचाराधीन है। शेष 11 रिक्तियों पर नियुक्ति पर इस संबंध में राज्य सरकार से सिफारिश प्राप्त होते ही भारतीय प्रशासिनक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में दिए गए उपबन्धों के श्रनुसार विचार किया जायगा।
- (घ) तथा (ङ). प्रशासनिक सुधार ग्रायोग ने अन्य बातों के साथ-साथ कार्मिक प्रशासन पर प्रपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि श्रेणी - I में पदोन्नति द्वारा भरा जाने वाला रिक्तियों का कोटा उस भवस्था में भ्रधिक से ग्रधिक 40 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाए जहां वर्तमान कोटे की प्रतिशतता 40 प्रतिशत से कम हो । इस सिफारिश को ध्यान में रखते हए माई० ए० एस० तथा प्राई० पी० एस० के पदोन्नति कोटे में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार किया गयाथा भीर पदोन्नति कोटे को 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 33 र्पे प्रतिशत करने का निर्णय किया गया था । तदानुसार, राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा भ्रायोग से परामर्श करने के बाद भ्राई० ए० एस० तथा धाई० पी० एस० (भर्ती) नियमों को 5 जुलाई, 1977 से संशोधित कर दिया गया था ।

Registered Crimes

2642. SHRI G. NARSIMHA REDDY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total number of crimes registered in the last two years and the

total number of cases where convicts were punished; and

(b) whether Government propose to give some more powers to police to detect cases or there are any other proposals to check the present trend of increase in criminal cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b). The requisite information is being collected and on receipt of the same a statement will be laid on the Table of the House.

Withdrawal of Criminal Cases

2643. SHRI G. M. BANATWALIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- (a) how many criminal proceedings instituted by the Government have been withdrawn during the period after January, 1980 on the grounds of lack of evidence, or public policy or their being politically motivated or being frivolous in nature;
- (b) the names of persons against whom such proceedings had been instituted and alleged offences; and
- (c) whether Government propose to take action against officials and those responsible for institution of such criminal proceedings?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): (a) and (b). The required information is given in the attached statement.

(c) No such proposal is now under the consideration of the Government.